

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 479] No. 479] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 31, 2019/माघ 11, 1940

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 31, 2019/MAGHA 11, 1940

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2019

का.आ. 592(अ). — केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि कर्नाटक राज्य के यादगीर जिले में NH150 के कि.मी. 34 से कि.मी. 70.9 (असिस्टेंट किमश्चर एंड स्लो NH मिनिविधान सौधा) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सिहत 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् किमश्नर को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अनुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

687 GI/2019 (1)

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।

अनुसूची

कर्नाटक राज्य के यादगीर जिले में NH150 के कि.मी. 34 से कि.मी. 70.9 (असिस्टेंट कमिश्नर एंड स्लो NH मिनिविधान सौधा) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: व	र्नाटक	जिले का नाम: य	ादगीर						
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल	भूमि का क्षेत्रफल				
				(स्थानीय इकाई)	(हेक्टेयर)				
तालुक का नाम: यादगीर									
गांव का नाम: यारगोल									
1	166	निजी	ड्राई	1.0219000(हेक्टेयर)	1.0219000				
2	167	निजी	ड्राई	0.7892000(हेक्टेयर)	0.7892000				
3	191	निजी	ड्राई	0.2181000(हेक्टेयर)	0.2181000				
4	197	निजी	ड्राई	0.2069000(हेक्टेयर)	0.2069000				
5	198	निजी	ड्राई	0.0696000(हेक्टेयर)	0.0696000				
6	214	निजी	ड्राई	0.0333000(हेक्टेयर)	0.0333000				
7	223	निजी	ड्राई	0.1037000(हेक्टेयर)	0.1037000				
8	333	निजी	ड्राई	0.0586000(हेक्टेयर)	0.0586000				
9	334	निजी	ड्राई	0.0978000(हेक्टेयर)	0.0978000				
10	336	निजी	न / ड्राई	0.0379000(हेक्टेयर)	0.0379000				
11	346	निजी	ड्राई	0.0203000(हेक्टेयर)	0.0203000				
	2.6573								

फा. सं. NH-12014/29/2016-KNT(P-6)/3A5]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 31st January, 2019

S.O. 592(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act,1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for Widening to two/four lane with paved shoulders from Km. 34.00 to Km. 70.90 (Chittapur Cross to Start of Yadgir Bypass) of NH150 of Gulbarga-Wadi-Yadgir Section(Assistant Commissioner Minividhan Saudha Yadgir) in the district of YADGIR in the State of KARNATAKA, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Assistant Commissioner in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, eitherallow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Widening to two/four lane with paved shoulders from Km. 34.00 to Km. 70.90 (Chittapur Cross to Start of Yadgir Bypass) of NH150 of Gulbarga-Wadi-Yadgir Section (Assistant Commissioner Minividhan Saudha Yadgir) in the district of YADGIR in the State of KARNATAKA

State: KARNATAKA		District: YADGIR								
Sl. No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)					
Taluk	Taluk: Yadgir									
Village: Yargol										
1	166	Private	Dry	1.0219000(Hectare)	1.0219000					
2	167	Private	Dry	0.7892000(Hectare)	0.7892000					
3	191	Private	DRY	0.2181000(Hectare)	0.2181000					
4	197	Private	DRY	0.2069000(Hectare)	0.2069000					
5	198	Private	DRY	0.0696000(Hectare)	0.0696000					
6	214	Private	DRY	0.0333000(Hectare)	0.0333000					
7	223	Private	DRY	0.1037000(Hectare)	0.1037000					
8	333	Private	DRY	0.0586000(Hectare)	0.0586000					
9	334	Private	DRY	0.0978000(Hectare)	0.0978000					
10	336	Private	NA / Dry	0.0379000(Hectare)	0.0379000					
11	346	Private	DRY	0.0203000(Hectare)	0.0203000					
Total 2.6573										

[F. No. NH-12014/29/2016-KNT(P-6)/3A5] RAJESH GUPTA, Dy. Secy.